पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.''

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मई, 2002, वैशाख 23, शक 1924

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 13 मई, 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-16/त.शि./2002/42 - अतः राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया कि :-

- (एक) कर्मचारियों के कतिपय प्रवर्गों में कतिपय रिक्तियां अल्प समय के भीतर भरी जाएं.
- (दो) कितपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों के उन प्रवर्गों को संविदा के आधार पर ,विनिर्दिष्ट कालाविध के लिए नियुक्त किया जाए.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीन सेवा के कतिपय प्रवर्गों पर संविदा आधार पर भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारम्भ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम 2001 है.
- (2) किन्हीं अन्य नियमों में किसी बात के होते हुए भी ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गी को लागू होंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं.
- (3) ये "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- 2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (क) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी.
 - (ख) "सरकार" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार.
 - (ग) "चयन समिति" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की समिति.
- 3. वेतन: किसी पद का वेतन उतना होगा, जैसा कि उक्त पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

4. नियुक्ति का तरीका :-

- (1) अनुसूची में उल्लेखित पदों के प्रवर्गों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी.
- (2) अभ्यर्थी के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को, अनुसूची में यथा उपबंधित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिए.
- (3) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन मापदण्ड-पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में अंक दिये जायेंगे :-
 - (क) विहित अर्हता 75 अंक (अधिकतम) (अधिकतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)
 - (ख) उच्चतर अर्हता 10 अंक (अभ्यर्थी के पास आवश्यक अर्हताएं होनी चाहिए)
 - (ग) अनुभव 15 अंक (सरकारी आई.टी.आई. में आवेदित पद या उच्चतर पद पर कार्य करने के अनुभव के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक होंगे, किन्तु अधिकतम अंक 15 अंकों से अधिक नहीं होंगे."
- (4) सिमिति, अभ्यर्थी के अपने शैक्षणिक कैरियर में प्रदर्शन अर्थात उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा, अन्य वृत्तिक क्षेत्र आदि में प्रदर्शन के आधार पर, अपना मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करेगी.
- (5) ऐसे चयन द्वारा भरी जाने वॉली रिक्तियां, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् ही भरी जायेंगी.

5. पदावधि :-

- (1) संविदा आधार पर इस प्रकार नियुक्त किये गये किसी कर्मचारी की पदावधि 3 वर्ष की कालावधि की होगी. ऐसी कालावधि के अवसान पर नियुक्ति समाप्त हो जायेगी.
- (2) तथापि कोई व्यक्ति, यदि वह चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाये तो संविदा पर नयी नियुक्ति के लिए पात्र होगा. ऐसा कोई व्यक्ति नयी नियुक्ति पर, ऐसे वेतन से जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, 15 प्रतिशत अधिक वेतन का हकदार होगा.
- आयु :- न्यूनतम तथा अधिकतम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए.

अन्य शर्ते :-

- (1) इन नियमों के अधीन कोई नियुक्ति संबंधित प्रवर्ग में रिक्त पद के विरुद्ध ही की जायेगी.
- (2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे. इस प्रयोजन के लिए रोस्टर राज्य स्तर पर रखा जाएगा.
- (3) महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.
- (4) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा.
- (5) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.
- (6) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, पेंशन तथा उससे संबंधित फायदों के लिए हकदार नहीं होगा.
- (7) इन नियमों के अधीन सेवाएं दोनों में से किसी भी एक ओर से एक मास की सूचना द्वारा या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, पदाविध के अवसान के पूर्व किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी.
- (8) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, वैसी ही चिकित्सकीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा, जो कि समतुल्य वेतन पाने वाले राज्य के अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञेय है.
- (9) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसे भविष्य निधि के फायदों का भी हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाए.
- (10) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा, किन्तु वह किसी अन्य प्रकार के अवकाश या दीर्घावकाश का हकदार नहीं होगा.
- (11) संविदा नियुक्ति एक विशिष्ट संस्था के लिए ही होगी.
- (12) सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी, जैसी कि उसके नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

| | | | | | | अनुसूची | | · | |
|-----|-----------|---------|--------------|----------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------|----------------|
| 豖. | पद का | वेतन | न्यूनतम | अधिकतम | शैक्षणिक | आवश्यक अनुभव | चयन समिति | चयन समिति की | नियुक्तिक र्ता |
| | नाम | | आयु | आयु | अर्हता | | की संरचना 🕝 | गणपूर्ति (कोरम) | अधिकारी |
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | प्राचार्य | ₹.10000 | | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त | मान्यता प्राप्त | 1. संचालक,रोजगार एवं | | राज्य सरकार |
| | ग्रेड-1 | समेकित | | | विश्वविद्यालय से | | प्रशिक्षण-अध्यक्ष. | 2. प्राचार्य | |
| | | | | | अभियांत्रिकी | महाविद्यालय में 5 | 2. राज्य सरकार द्वारा | | |
| | | | | | अथवा प्रौद्योगिकी | | नाम-निर्देशित प्राचार्य | | |
| | | | | | में उपाधि. | अनुभवन, मान्यता | पॉलीटेक्नीक-सदस्य. | द्वारा नाम-निर्देशित | |
| | | | | | | प्राप्त पॉलीटेक्नीक | 3. राज्य सरकार द्वारा | 1 2 2 2 10 1111 | |
| | | | | | | महाविद्यालय में 7 | नाम-निर्देशित किया जाने | 21441 218/81 10 | |
| | ' | | | | | | वाला अनुसूचित जाति | | |
| | | | | | | अनुभव अथवा | अथवा अनुसूचित | अधिकारी. | |
| | | | | | , | मान्यता प्राप्त | जनजाति का अधिकारी | 4. एक विषय | |
| | | • | | | | T . | जो संयुक्त संचालक से | | |
| | | | | | | संस्था में 9 वर्ष के | निम्न रैंक कान हो - | 5. सदस्य-सचिव. | |
| | | | | | | अध्यापन का | सदस्य. | | |
| , | | | | | | अनुभव. | 4. अभियांत्रिकी | | |
| • | | | | | | | महाविद्यालयों से राज्य | | |
| • | | | | | | | सरकार द्वारा नाम- निर्देशित किये जाने वाले | | |
| | | | | | | | दो विषय विशेषज्ञ- | | |
| | | | | | | | दा विषय विशेषश्च- सदस्य. | | |
| | | | | | | | 5. अपर संचालक/ | | |
| | | | | | İ | | संयुक्त संचालक/संयुक्त | | |
| | | | • | | | | संचालक रोजगार एवं | | |
| | | | | | | | प्रशिक्षण-सदस्य सचिव. | | |
| | | | | <u> </u> | | | 77777 | | |
| 2. | प्राचार्य | ₹.8000 | । 25 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त | 1. उपाधि धारकों के | 1. संचालक, रोजगार एवं | 1. अध्यक्ष. | राज्य सरकार |
| ۷. | | समेकित | ·** | | | लिये मान्यता प्राप्त | प्रशिक्षण-अध्यक्ष. | 2. प्राचार्य | |
| | 35-2 | समानस | | 3 | अभियांत्रिकी अथवा | | 2. राज्य सरकार द्वारा नाम- | पॉलीटेक्नीक. | |
| | | | | | प्रौद्योगिकी में उपाधि. | महाविद्यालय या | निर्देशित प्राचार्य पॉलीटेक्नीक | 3. राज्य सरकार द्वारा | |
| | | | | | मान्यता प्राप्त | पॉलीटेक्नीक में 3 वर्ष के | -सदस्य. | नाम- निर्देशित | |
| | | | | | विश्वविद्यालय/ बोर्ड | | 3. राज्य सरकार द्वारा नाम | अनुसूचित जाति | |
| | | | | | से अभियांत्रिकी में | | निर्देशित किया जाने वाला | अथवा अनुसूचित | |
| | | | | | डिप्लोमा. | लिये मान्यता प्राप्त | अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का | जनजाति का | |
| | | | | | | अभियां त्रिकी | अधिकारी जो संयुक्त संचालक | अधिकारी. | |
| | | | | | ! | महाविद्यालय/ | से निम्न के का न हो-सदस्य. | 4. एक विषय- | |
| | | | | | | पॉलीटे बनीक या | 4.अभियांत्रिकी महाविद्यालयों | विशेषज्ञ. | |
| | | | | | | औद्योगिक प्रशिक्षण | से राज्य सरकार द्वारा नाम- | ५. सदस्य-सचिव. | |
| | | | | | | संस्थान में 5 वर्ष के | निर्देशित किये जाने वाले दो | | |
| | | | | | ļ | अध्यापन का अनुभव. | विषय विशेषज्ञ-सदस्य. | | |
| | | | | | | | अपर संचालक/संयुक्त | | |
| | | | | | | | संचालक रोजगार एवं | | |
| | | | | | | | प्रशिक्षण-सदस्य सचिव. | | |
| | l | | l | | | | L | <u></u> | |

| $\frac{\cdot}{(1)}$ | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|--|--|---|---|----------------------------------|
| 3. | | ह.6500 समेकित | 24 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड से अभियांत्रिकी में डिप्लोमा. | उपाधि धारकों के लिये मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय या पॉलीटेक्नीक में 2 वर्ष के अध्यापन का अनुभव. | | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार |
| 4. | प्रशिक्षण अधीक्षक | रु. 5500 समेकित | 23 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अभियांत्रिकी की शाखा में डिप्लोमा. | | संयुक्त संचालक रोर्जगार एवं प्रशिक्षण अध्यक्ष . 2. राज्य सरकार द्वारा | 2. एक विषय विशेषज्ञ 3. राज्य सरकार द्वारा नाम - नि दे शित - अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का अधिकारी. 4. सदस्य सचिव. | संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|---|--------------------|---------|---------|--|-----|--|---|-----------------------------|
| 5. | प्रशिक्षण अधिकारी (कोगा) | इ. 5500 समेकित | 22 বর্ষ | 35 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइस में वी.ई. अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कम्प्यूटर साइस या कम्प्यूटर साइस एवं अभियांत्रिकी में डिप्लोमा. | | 1.संयुक्त संचालक मुख्यालय- अध्यक्ष. 2. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा नाम-निर्देशित दो विषय विशेषज्ञ- सदस्य. 3. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा नाम-निर्देशित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का अधिकारी जो सहायक आयुक्त से निम्न रेंक का न हो- सदस्य. 4. उपसंचालक प्रशिक्षण संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण -सदस्य सचिव. | अध्यक्ष उ. एंक विषय विशेषज्ञ उ. अनुसृचित जाति अथवा अनुसृचित जनजाति का अधिकारी. 4. सदस्य सचिव. | संयुक्त संचालक मुख्यालय. |
| 6. | प्रशिक्षण अधिकारी /कम्प्यूटर हार्ड वेयर संधारण) | समेक्ति | 22 वर्ष | 35 वर्ष | उपरोक्तानुसार | - | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार |
| 7. | प्रशिक्षण अधिकारी (स्टेनेग्राफी हिन्दी) | Į. | 22 বর্ष | 59 वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक. मान्यता प्राप्त बोर्ड एन.सी.बी.टी. से 100 शब्द प्रति मिनट से शीघलेखन और 25 शब्द प्रति मिनट से टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण हो. | | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार - |
| 8. | प्रशिक्षण अधिकारी (स्टेनंग्राफी अंग्रेजी) | रु. 5500 समेकित | 22 वर्ष | 59वर्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक. मान्यता प्राप्त बोर्ड एन.सी.वी.टी. से 100 शब्द प्रति मिनट से शीप्रलेखन और 30 शब्द प्रति मिनट से टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण हो. | - | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार. | उपरोक्तानुसार |

| (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) | (10) |
|--|---------------|
| 9. प्रशिक्षण ह. 5000 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त - उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार अधिकारी भाषा (हिन्दी) 10. प्रशिक्षण ह. 5000 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण ह. 5000 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण ह. 4500 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण ह. 4500 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण ह. 4500 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेवेन्वला प्राप्त विश्वविद्यालय से मेवेन्वला प्राप्त विश्वविद्यालय से मेवेन्वला प्राप्त विश्वविद्यालय से मेवेन्वलल प्रोडक्शन/ मेन्य के विश्वविद्यालय से मेवेन्वलल प्रोडक्शन/ मेन्य के विश्वविद्यालय में इंजीनियारंग | 1 (10) |
| अधिकारी भाषा (हिन्दी) 10. प्रशिक्षण अधिकारी भाषा (अंग्रेजी) 11. प्रशिक्षण अधिकारी भाषा (अंग्रेजी) 12. वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक. 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण अधिकारी समेकित अधिकारी (दी) 1. ब्राप्ट्रमेन भेकेनिकल 2. दुल एड्ड डाई मेकर 3. फीटर 4. मनीनिस्ट | (10) |
| विश्वविद्यालय से वी.एड. उपाधि उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार अधिकारी भाषा (अंग्रेजी) प्रशिक्षण ह. 4500 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण समेकित समेकित समेकित विश्वविद्यालय से वेतन्त्रलालय से वेतन्त्र | उपरोक्तानुसार |
| 10. प्रशिक्षण अधिकारी समेकित भाषा (अंग्रेजी) 11. प्रशिक्षण रु. 4500 22 वर्ष अर्ड वर्ष विश्वविद्यालय से नी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण रु. 4500 22 वर्ष अर्ड वर्ष विश्वविद्यालय से नी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण रु. 4500 22 वर्ष अर्ड वर्ष विश्वविद्यालय से नी.एड. उपाधि 11. प्रशिक्षण रु. 4500 22 वर्ष अर्ड वर्ष विश्वविद्यालय से मेकेनिकल/ग्रोडक्शन/ मे न्यु कै वन् रिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विश्वविद्यालय से भेकेनिकल 2.दूल एइड डाई मेकर अ. फीटर 4.मनीनिस्ट | |
| 11. प्रशिक्षण रु. 4500 22 वर्ष 35 वर्ष 1. मान्यता प्राप्त - उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार |
| उ. मशीनिस्ट कम्पोजिट 6. पैठर्न पेकर 7. टर्नर १. बलैक ६ म थ (फरेरजर एण्ड सीट ट्रीटर) 9. कारपेंटर 10. मोल्डर 11. शीट मेटल 12. वेल्डर | उपरोक्तानुसार |
| | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | प्रशिक्षण | 1 | 22 वर्ष | (<i>3)</i> 35 वर्ष | | (7) | | | उपरोक्तानुसार |
| 12. | त्रासदाण अधिकारी | रु : 4500 समेकित | <i>LL</i> 99 | 33 dd | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या | - | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार | उपराक्तानुसार |
| | (टी) | समाकत | | | बोर्ड से सिविल | } | Ì | | |
| | । (८) । .ड्रापंट्समेन | 1 | | , | अभियांत्रिकी में | | | | |
| | (सिविल) | | | | जानवाहिका न डिप्लोमा | | | | |
| | 2. सर्वेयर | , | |] | (पॉलीटेक्नीक). | | | | |
| | 3 . भ व न | | | | (Hitherhal). | | | | |
| | निर्माण मेसन | | | | | | | | |
| | 4. वेंटर | ļ | | | | | | | |
| | जनरल | | | | | | 1 | | |
| | 5. प्लंबर | | | | | | | | |
| 13. | प्रशिक्षण | ₹. 5500 | 22 वर्ष | ३५ वर्ष | मान्यता प्राप्त | _ | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार |
| | अधिकारी | समेकित | | | विश्वविद्यालय या | | Onthigan | 94(14(13(11) | उपरापतानुसार |
| | (큅) | | ĺ | | बोर्ड से | | | | |
| | । इलेक्ट्रा- | | | | इलेक्ट्रानिक्स या | | ĺ | | |
| | निक्स - निक्स | 1 | | | इलेक्ट्रानिक्स एवं | | i I | | |
| | 2. रेडियो | | | | टेलीकम्यूनिकेशन | | | | |
| | एवं टी.वी. | İ | | | अभियांत्रिकी में | _ | | | |
| | मैकेनिक | | ļ | | डिप्लोगा | | | | |
| | | | | | (पॉलीटेक्नीक). | | | | , |
| 14. | • | ₹. 4500 | 22 वर्ष | ३५वर्ष | मान्यता प्राप्त | - | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार |
| | अधिकारी | समेकित | | | विश्वविद्यालय | | | | |
| | (दी) | | | | का बोर्ड से इलेक्ट्रिकल | | | | |
| | 1. विद्युतकार 2. वायर मेन |] | | , | ३ल । पट्र क ल अभियांत्रिकी में | | | | |
| | 2. वायर मन 3. इलेक्ट्रो | | | | जानपात्रपान डिप्लोमा | | | - | |
| | उ. इलपट्टा प्लेटर् | | | | (पॉलीटेक्नीक). | | , | | |
| 15. | प्रशिक्षण | ₹. ४500 | 22 वर्ष | 35 वर्ष [े] | मान्यता प्राप्त. | <u>-</u> | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार |
| | अधिकारी | समेकित | | -3 | विश्वविद्यालय | | | | *********** |
| | (킨) | | | | या बोर्ड से | | - | | |
| | 1.मीटर | | | | आटोमोबाइल | ! | | | |
| į | मैकेनिक. | į | | | अभियांत्रिकी में | · | | , | |
| ĺ | 2. फार्म | | | | डिप्लोगा | | 1 | | |
| | मैकेनिक | | | | (पॉलीटेक्नीक). | | | | |
| | 3. डीजल | | | | | . [| | | |
| | मैकेनिक. | | | | | | | | |
| | 4. ट्रेक्टर | | | | | | | | |
| | मैकेनिक. | | | | | | | | |
| | 5. कृषि | | | | 1 | | | | |
| | मशीनरी | | | | | | | | |
| | मैकेनिक. | | | | | | | | |

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - ;- ;- , - | , , , , , , | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 16. | t i | ₹.4500` | 22 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त | - | । . संयुक्त संचालक मुख्यालय | 1. अध्यक्ष | संयुक्त |
| | अधिकारी | समेकित | | | विश्वविद्यालय | | अध्यक्ष. | 2. एक विषय विषेपज्ञ | संचारक |
| | (ਟੀ) | | | | या बोर्ड से | | 2. संचालक, रोजगार एवं | 3. संचालक द्वारा | मुखानगः |
| | 1.रेफ्रिजरेशन | | | | रेफ़िजरेशन एवं | | प्रशिक्षण द्वारा नाम-निर्देशित | 0.2 | |
| | एवं एय(वं:डी- | | | | एयर कंडीशर्निंग | | दो विषय विशेषज्ञ- सदस्य. | जाति अथवा | |
| | शर्निंग. | | | | अभियांत्रिकी में | | 3.संचालक, रोजगार एवं | 9.4 | • |
| | | | | | डिप्लोमा | . : | प्रशिक्षण द्वारा नाम-निर्देशित | l | |
| | | | | | (पॉलीटेक्नीक). | | अनुसूचित जाति अथवा | 4. सदस्य सचिव. | |
| | · | | ļ | | | : | अनुसूचित जनजाति का | | |
| | | | | | | | अधिकारी जो सहायक | | |
| | | | | | | i | आयुक्त से निम्न रेंक का न हो- | | |
| | İ | | | | | | सदस्य. | | |
| | | | | | | | 4. उपसंचालक प्रशिक्षण | | |
| | | | | | | | संचालनालय रोजगार एवं | | |
| | <u> </u> | | | | ~ | | प्रशिक्षण-सदस्य सचिव. | , | |
| 17. | प्रशिक्षण | ₹. 4500 | 22 वर्ष | 35 वर्ष | मान्यता प्राप्त | - | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार | उपर ोक्तानुसार |
| | अधिकारी | समेकित | | | विश्वविद्यालय | | | | |
| | (ਹੈ) | · | | | या दोर्ड से | | | | |
| | 1.इंस्ट्रूमेट | | | | इंस्ट्रूमेंटेशन या | | | | |
| | मैकेनिक | | | } | इंड स्ट्रियल | | | | |
| | 2. बाच एवं | | | | इले वट्रानिवस | | | | |
| | क्लाक | | | ļ | अभियांत्रिकी में | | | | |
| | रिपेनर | | | i | डिप्लोमा | | | | |
| | | | ļ | | (पॉलीटेक्नीक) | | | | |
| 18. | 1 | €.4500 | 22 वर्ष | 35 वर्ष | 1. हाईस्कूल अथवा | - | उपरोक्तानुसार 💉 | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार |
| | अधिकारी | समेकित | | | समतुल्य . | | | | |
| | (पी) | | | | 2. संबंधित व्यवसाय | | | | |
| | 1 | | | | में औद्यागिक | I . | | | |
| | | | | | प्रशिक्षण संस्था | | | | |
| | | <u> </u> | | | (एन.सी.वी.टी.) | 1 | | | |
| | | | | | परीक्षा या राष्ट्रीय | 1 | | | |
| | | l | | | शिक्षु परीक्षा पास | 1 | | | |
| | | | | | (जिन अभ्यर्थियों के | i . | | | |
| | | 1 | | | पास उपरोक्त योग्यता | ł . | | | |
| | 1 | | | | नहीं होगी उनके | | | | |
| | |] | | | प्रकरण पर इससे उच्च | | | | |
| | • | } | | | योग्यता जैसे | | | | |
| | | | | | अभियांत्रिकी में | | | | |
| | | | | | उपाधि या डिप्लोमा | £ | | | |
| | | | | | होने पर भी विचार नहीं | | | | |
| | <u> </u> | | | | किया जायेगा). | | | | |

Raipur, the 13th May 2002

NOTIFICATION

No. F1-16/T.E./2002/42 .- Whereas in the opinion of the State Government it has become necessary that :-

- (i) To fill up certain vacancies in certain category of employees within short time.
- (ii) To curb the tedency of avoing posting of certain places those categories of employees should be appointed on contract basis for a specified period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to certain categories of services on a contract basis under the Chhattisgarh Directorate of Employment and Training, namely:

RULES

- 1. Short title, application and commencement :-
 - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Directorate of Employment and Training Contract Services (Appointment and Conditions of Service) Rules 2001.
 - (2) Notwithstanding anything in any other rules these rules shall apply for such categories of employees appointed on contract basis as may be specified in the Schedule from time to time by the State Government by Notification.
 - (3) They shall come into force with effect from the date of publication of these rules in the Chhattisgarh Gazette.
- 2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Appointing Authority" Appointing Authority in respect of a post means the Authority specified in the schedule for the concerned category;
 - (b) "Government" Government means the Government of Chhattisgarh;
 - (c) "Selection Committee" selection Committee means the committee of persons specified in the schedule for the concerned category.

3. Pay: pay of post shall be such as specified in the schedule for the said post.

4. The Method of Appointments:-

- (1) All Appointments to the categories of posts mentioned in the schedule shall be made by the appointing authority on the basis of recomendations by the selection committee consisting of persons specified in the schedule.
- (2) A candidate must posses educational qualifications and experience as provided in the schedule on the last date of submission of application.
- (3) selection criteria for contractual appointments:- Marks will be awarded in the following proportion to the candidates for various categories of the posts.
- (a) Prescribed Qualification 75 marks (maximum in proportions of the marks obtained the maximum qualification).
- (b) Higher Qualification 10 marks (candidate must posses essential qualifications).
- (c) Experience 15 marks (5 marks for each year of experience of working in a government I.T.I. on the post applied for or higher post. But the maximum marks shall not be more than 15 marks).
- (4) The committee shall make its recomendations after making its assessment on the basis of performance of the candidates in his academic career i.e. examination passed by the candidate performance in other professional area etc.
- (5) The vacancies to be filled in by such a selection shall be filled only after inviting applications through advertisement in news papers.

5. Tennure:-

- (1) Tenure of any employee so appointed on contract basis shall be for a period of three years. Appointment shall come to an end on the expiry of such period.
- (2). However a person shall be eligible for appointment afresh on contract if he is found suitable by the selection committee. Such a person on fresh appointment shall be entitled to a salary which shall be 15% more than the salary which he was receiving during his last appointment.
- 6. Age. The minimum and maximum age shall be such as specified in the schedule.

7. Other Conditions :-

- (!) Any appointment under these rules shall be made only against a vacant post in the respective category.
- (2) Post shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the previsions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) Roster for this purpose shall be maintained at the State level.

- (3) Reservation for woman candidates shall be made as per the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of women) Rules, 1997.
- (4) Reservation for the handicapped candidates will be made as per instructions of the Government.
- (5) Any person appointed under these rules shall be governed by the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.
- (6) Any person appointed under these rules shall not be entitled for pension and other benefits relating thereto.
- (7) The services under these rules shall be terminated any time before the expiry of tennure by one month's notice on either side or one month's pay inlieu there of.
- (8) Any person appointed under these rules shall be entitled to medical facilities and travelling allowances similar to those admissible to other State employees drawing equivalent pay.
- (9) Any person appointed under these rules shall also be entitled to such Provident Fund benefits as may be determined by the State Government from time to time.
- (10) Any person appointed under these rules shall be entitled to casual leave for 13 days and optional holidays for 3 days in a year but he shall not be entitled to any other kind of leave or vacation.
- (11) The contract appointment will be for a particular institution only.
- (12) Other conditions of service shall be such as may specified in the order of his/her appointment.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. पी. त्रिवेदी, सचिव.

SCHEDULE

| | | | | | 3 | CILIDOLL | | | |
|------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--|--|---|------------------------------|
| ŞI. No. | Name of Post | Pay | Mini- mum Age | | Educational Qualification | Essential Experience | Composition of selection Committee | Quorum of selection Committee | Appoint- ing Authority |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | Deinsinal | De | 27 | 35 | Degree in En- | 5 yrs. teaching | 1. Director | 1. Chairman | State |
| | Principal Grade-I | Rs. 10000/- Consoli- dated | 27 Yrs. | 35 Yrs. | Degree in En- | 5 yrs. teaching experience in a recognised En- gineering Col- lege, or 7 years teaching expe- | Employment &Training-Charman. 2. Principal Polytechnic to be nominated by the State | Principal Polytechic Officer belonging to SC or ST category Nominated by State Government. One Subject Expert. Member Secretary. | Government |
| | | J | | | | | retary. | | |
| | | | | | | | _ | | |

| | | · | ···· | • ' : | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2. | Principal Grade-II | Rs. 8000/- Consoli- dated | 25 Yrs. | 35 Yrs. | Degree in Engineering/ Technology from any recognised university or Diploma in Engineering from any recognised University Board. | teaching experience in a recognised Engineering College/polytechnic. 2. For Diploma Holders 5 years teaching experience in | Employment & Training-Chaiman. 2. Principal Polytechnic to be nominated by the State Government - Member. 3. Officer not below the rank of Joint Director, belonging | Polytechic 3. Officer belonging to SC or ST category Nominated by State Government. 4. One Subject Expert. 5. Member | |
| • | Vice Principal Grade-II | Rs. 6500/- Consoli -dated. | 24 Yrs. | | Degree in Engineering/ Technology from any recognised university or Diploma in Engineering from any recognised University Board. | 1. For degree holders 2 years teaching experience in a recognised Engineering College/polytechnic. 2. For Diploma Holders 4 years teaching experience in Recognised Engineering College/Polytechnic/Industrial Training Institute. | Same as above | Same as above | Same as above. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---|---|--|--|
| 4. | Training Superin- tendent | Rs. 5500/- Conso- lidated. | 23 Yrs | 35 Yrs | Diploma in branch of Engineering/ Technology from any recognised Board University. | ing experience in recognised Engineering College/Poly- technic/Indus- | ployment & Training- | 1. Chairman 2. One subject expert 3. Officer belonging to SC/ST category. 4. Member Secretary. | Director Employ- mem Training |
| 5. | Training Officer (COPA) | Rs. 5500/- Conso- lidated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | B.E in Computer Science for a more cognised University or Diploma in Computer Science & Engineeing from recognized University / Board. | | 1. Joint Director Head Quarter-Chemoan 2. Two subject Experts to be nominated by the Director Employment & Training-Member. 3. Officer not below the rank of Assistant Commissioner belonging to SC/STeategoty, to be nominated by Director Employment & Training Member. 4. Deputy Director Training Member. 4. Deputy Director Training Member. 4. Deputy Director Training Prectorate of Employment and Training-Member Secretary. | 1. Chairman 2. One subject expert. 3. Officer belonging to SC or ST category. 4. Member Secretary. | Joint Director Head Quarter |

| (!) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
|-----|--|-------------------------------------|------------|------------|---|-----------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 6. | Training Officer (Computer Hardware maintavance. | Rs. 5500/- Conso- lidated. | l. | | Same as above | Same as above S | | Same as above | Same above. | as |
| 7 | Training Officer Steno- graphy (Hindi). | | 22 Yrs. | 59 Yrs | 1. Graduation from a recognised University. 2. Should have passed short hand with 100 wpm and Typing with 25 wpm from a recognised board/NCVT/SCVT. | - | Same as above | Same as above | Same above. | as |
| 8. | Training Officer (Stenogra- phy En- glish) | | 22 Yrs. | 59 Yrs. | 1. Graduation from a recognised University. 2. Should have passed short hand with 100 wpm and Typing with 30 wpm from a recognised board/NCVT/SCVT. | | Same as above | Saiwe as above | Same above. | as |
| 9. | Training Officer Language (Hindi). | | 22 Yrs. | 35 Yrs. | I. Graduation in Hindi literature from a recognised University. 2. B.E.D. From a recognised University. | • • | Same as above | Same as above | Same above. | as |
| 10. | Training Officer Language (English). | Rs. 5000/- Consoli- dated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | 1. Graduation in English literature from a recognised University. 2. B.E.D. From a recognised University. | - | Same as above | Same as above | Same above. | as |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) (| 6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
|-------------------------|---|------------------------------|-----|------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | (T). Draftsan Mechanical Tool & Die maker Fitter Machinist Grinder Machinist Coposite Pattern Maker Turner Blacksmith (Forger & Heat Treater) Carpenter Moulder Sheet Metal | 4500/- Conso- lidated. | | Yrs. | Diploma (Poly- technic) in Me- chanical/Pro- duction/Manu- facturing Engi- neering from a recognised Board or Uni- versity. | | Same as above | Same as above | Same above. | as |
| 12. | Training Officer (T) Draftsman Civil. Surveyor Building Construction/ Mason. Painter General | | L | 35 Yrs. | Diploma (Polytechnic) in Civil Engineering from a recognised Board or University | - | Same as above | Same as above | Same above. | as |
| 13 | Officer (T). | Conso | - | 35 Yrs. | Diploma (polytechnic) in Electronics Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering from a recognised Board or University. | | Same as above | Same as above | Same above. | as |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|--|-------------------------------------|------------|------------|--|-----|---|---------------------------------------|--|
| 14. | Training officer (T). 1. Electrician. 2. Wireman 3. Electroplater | Rs. 4500/- Conso- lidated, | 22 Yrs. | 35 Yrs. | Diploma (Poly- technic) in Ele- ctrical Engineer- ing from a reco gnised board or University. | | Same as above | Same as above | Same as above. |
| 15. | Training officer (T). 1. Motor Mechanic. 2. Farm Mechanic. 3. Diesel Mechanic. 4. Tractor Mechanic 5. Agricultural Machanic. | Rs. 4500/- Conso- lidated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | Diploma (Poly- technic) in Auto- Mobile Engi- neering from a recognised board or Uni- versity. | | Same as above | Same as above | Same as above |
| 16. | Training officer (T). 1. Refrigeration and Airconditioning. | Rs. 4500/- Conso- lidated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | Diploma (Polytechnic) in Refrigeration and Airconditioning Engineering from a recognised board or University. | | 1. Joint Director Head Quarter-Chairman. 2. Two subject Experts to be Nominated by the Director, Employment and Training - Member. 3. Officer not below the rank of Assistant Commissioner, belonging to SC or ST category, to be nominated by Director, Employment and Training Member. 4. Deputy Director Training Directorate of Employment and Training - Member Secretary. | belonging to SC or ST category. | Joint Director H e a d Quarter. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|--|-------------------------------------|------------|------------|---|-----|---------------|---------------|-------------------|
| 17. | Training officer (T). 1. Instrument Machanic. 2. Watch & Clock repair. | Rs. 4500/- Conso- lidated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | Diploma (Polytechnic) in Instrumentation or industrial Electronics Engineering from a recognised board or University. | - | Same as above | Same as above | Same as above. |
| 18. | Training officer (P). | Rs. 4500/- Conso- lidated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | High School or Equivalent. ITI (NCVT) or Apprentice-ship Examination in the concerned trade. (Candidates not having above qualification but having higher qualification such as Degree or diploma in Engg. will not be considered.) | | Same as above | Same as above | Same above |
| 19. | Training Officer (Social Studies). | Rs. 4500/- Conso- lidated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | Degree in Social Sciences or Psychology or Social work from a recognised University. | - | Same as above | Same as above | Same as above |
| 20. | Mainte- nance Mechanic. | Rs. 3050/- Conso- lidated. | 21 Yrs. | 35 Yrs. | ITI (NCVT) or Apprentice- ship Examina- tion passed in Fitter, Turner or Machinist Composite trade. | | Same as above | Same as above | Same as above |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|------|------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|--------------|---|--|------------------|
| 21. | Com- pounder. | Rs. 3050/- Conso- lidated. | 22 Yrs. | 35 Yrs. | 1. Higher Secondary with Chemistry, Physics and Biology. 2. Diploma in Pharmacy from an institution recognized by Government of Chhattisgarh. 3. Registration of Pharmacist by Pharmacy Council. | - | 1. Joint Director Head Quarter-Chairman. 2. Two subject Experts to be nominated by the Director. Employment and Training-Member. 3. Officer not below the rank of Assistant Commissioner. belonging to SC or ST category, to be nominated by Director, Employment and Training-Member. 4. Deputy Director Training Directorate of Employment and Training-Member Secretary. | 1. Chairman. 2. One subject expert. 3. Officer belonging to SC or ST category 4. Member Secretary | i |
| .22. | Dresser. | Rs. 2750/- Conso- lidated. | 21 Yrs | 35 Yrs. | 1. Higher Secondary with Chemistry, Physics and Biology. 2. Should have passed 3 months course of Diresser from recognized Medical centre/Institute. | - | Same as above | Same as above | Same as above. |
| . 3 | Driver. | Rs. 3050 Conso- lidated. | 27 | 35 Ÿīs. | 1 High School. 2 Should have the license to drive light and Heavy Vehicle. | - | Same as above | Sam- as above | Same as above |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|-----|---------------|---------------|----------------|
| 24. | Assistant Grade-III | Rs. 3050/- Conso- lidated. | 21 Yrs. | 35 Yrs. | 1. High School 2. Should have passed HindiTyping Examination with minimum speed of 25 WPM from the Board of Short Hand and Typing Examination M.P. | - | Same as above | Same as above | Same as above. |
| 25 | Steno Typist. | Rs. 3050/- Conso- lidated | 21 Yrs. | 35 Yrs. | 1.High School 2.Should have passed Hindi Typing Examination with minimum speed of 25 WPM and Shorthand with the speed of 60 WPM from the board of Shorthand and Typing examination M.P. | - | Same as above | Same as above | Same as above. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | . (6) | (7) | (8) | (9) | - (10) |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|-----|--|---|------------------|
| 26. | Wrok- shop Attendant. | Rs. 2610/- Conso- lidated. | 21 Yrs. | 35 Yrs. | 1. High School Examina- tion. 2. ITI or APP. Exam. (NCVT) | | 1. Joint Director Head Quarter-Chairman. 2. Two subject Experts to be nominated by the Director, Employment and Training-Member. 3. Officer not below the rank of Assistant Commissioner, belonging to SC/ST category, to be nominated by Director, Employment and Training-Member. 4. Deputy Director Training Directorate of Employment and Training-Member Secretary. | 2.One subject expert. 3.Officer belonging to SC or ST category. 4.Member Secretary. | |
| 27. | Class IV (Peon/ Chowki- dar) | Rs. 2550/- Conso- lidated. | 21 Yrs. | 35 Yrs. | 1.Should have Passed Class 5. | • • | Same as above | Same as above | Same as above |